


RBE No.58/2019



PCPO's SI.No.86/2019

No. E/9(E)/O/ECR/HJP

Dated:- 21.05.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. from 01.01.2019 to Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/grade pay as per 6th Central Pay Commission.


संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.PC-VI/2008/I/7/2/1 Dated: 01.04.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.


 (सौरभ सावर्ण)
 वकाधि / ई एस एम
 कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पू.म.रे / हाजीपुर।
2. महासचिव / एस०.सी०. / एस०.टी०. / एशोसिएशन / पू.म.रे / हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.) पू.म.रे / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव / ओ.बी.सी. एशोसिएशन / पू.म.रे / हाजीपुर।



S.No. PC-VI/395

No. PC-VI/2008/I/7/2/1

RBE No. 58 /2019
New Delhi, dated 01.04.2019

The GMs/CAO(R),
All Zonal Railways & Production Units,
(as per mailing list)

067257


15 APR 2019

Sub: Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. from 01.01.2019 to Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 8.10.2018 (S.No. PC-VI/390, RBE No.152/2018) revising the rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.07.2018 in respect of railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/ grade pay as per 6th Central Pay Commission.

2. The rate of DA admissible to railway employees of above category shall be enhanced from the existing rate of 148% to 154% w.e.f. 01.01.2019.
3. The provisions contained in Paras 3,4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No. PC-VI/3, RBE No.106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.
4. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2019.
5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Authority- MoF's OM No.1/3(1)/2008-E.II(B)dated 08.03.2019).


(U.K.Tiwari)
Joint Director, Pay Commission
Railway Board

New Delhi, dated 01.4.2019


No.PC-VI/2008/I/7/2/1

Ruling

प्रमुकाधि
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राज
उप मुकाधि/मा
उप मुकाधि/आईआर
वकाधि WPP
सकाधि
विधि अधिकारी

Copy to the Deputy Controller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi(with 40 spares).


For Financial Commissioner/Railways,


Ch. OS/ESW
14/04/19

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पी सी-VII/395
सं. पी सी-VII/2008/II/7/2/1

आर बी ई सं. 58/2019
नई दिल्ली, दिनांक 01.04.2019


महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ग्रेड-पे में अपने वेतन का आहरण जारी रखने वाले रेल कर्मचारियों को 01.01.2019 से लागू महंगाई भत्ते की दर।

रेल मंत्रालय के दिनांक 08.10.2018 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पीसी-VII/390, आरबीई सं. 152/2018) जिसमें उन रेल कर्मचारियों, जो छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधनपूर्व वेतनमान/ग्रेड-पे में अपना वेतन आहरण कर रहे हैं, के संबंध में दिनांक 01.07.2018 से महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन करने के संबंध में है, का अवलोकन करें।

2. उपरोक्त कोटि के रेल कर्मचारियों के लिए लागू महंगाई भत्ते की दर को दिनांक 01.01.2019 से मौजूदा 148% से 154% तक बढ़ा दिया जाएगा।
3. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (क्रम सं. पीसी-VI/3, आरबीई सं. 106/2008) के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।
4. महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान, मार्च 2019 के वेतन के भुगतान की तारीख से पहले नहीं किया जायेगा।
5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

[प्राधिकार: वित्त मंत्रालय का दिनांक 08.03.2019 का का.ज्ञा. सं. 1/3(1)/2008-ई.।।(बी)]


(यू.के. तिवारी)

संयुक्त निदेशक/वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 01.04.2019

सं. पी सी-VII/2008/II/7/2/1

प्रतिलिपि उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा संख्या 224, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित(40 अतिरिक्त प्रतियां)।



कृते वित्त आयुक्त, रेल